राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9 (4) छात्रवृति/SPL-Com.for SC/2024/1890 दिनांक : 23-1-2025

अंतिम अवसर

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, मिरासी एवं भिश्ती उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना एवं अति पिछड़ा वर्ग योजना (सत्र 2016-17 से 2022-23 तक) में ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में से कतिपय आवेदन पत्रों में आंशिक कमियाँ/आक्षेप/रैड फ्लैग में होने के कारण विभाग द्वारा आक्षेपित किया गया था, ऐसे आवेदन पत्रों में संबंधित विद्यार्थी/शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति करने हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कतिपय विद्यार्थियों /शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति कर ऑनलाईन फारवर्ड नहीं किया गया है जिसकी वजह से ऐसे छात्रवृति आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः विद्यार्थी हित को दृष्टिगत रखते हुए **अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए** उपरोक्त सत्रों के ऑनलाईन आवेदन पत्रों का पूर्ण निस्तारण करने हेतु निम्नानुसार अन्तिम तिथियाँ निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	विद्यार्थियों के स्तर पर आक्षेप/अन्य कारणों से लम्बित आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति कर शिक्षण संस्थान को ऑनलाईन फारवर्ड करने की अन्तिम तिथि	31 जनवरी 2025
2	शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी तक ऑनलाईन फारवर्ड करने की अंतिम तिथि	10 फरवरी 2025
3	स्वीकृत अधिकारियों द्वारा समस्त पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर भुगतान करने की अन्तिम तिथि	28 फरवरी 2025

उक्त तिथियों के पश्चात् विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.01.23 19:01:47 IST
Reason: Approved

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 12885240

क्रमांक : एफ 9 (4) छात्रवृति/SPL-Com.for SC/2024/18902-19000 दिनांक : 23-1-2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.............।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त...।
14. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.........................।
15. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त........।
16. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त..............................।
17. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.............................।
18. एनालिस्ट कम प्रोगामर (उपनिदेशक आई. टी.)मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
19. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
20. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
21. संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त)..........।
22. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.01.23 19:01:47 IST
Reason: Approved